पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 173/2024 दिनांक- 31.05.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना देवगांव

जेवरात चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 24.05.2024 को आवेदिका सोना पत्नी तिलकू सरोज निवासी मसीरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ने थना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 22.05.2024 को वादिनी के झोले में रखा एक झुमका, एक अंगूठी, एक नथुनी, कान का एक सहारा आटो में ही अगल- बगल बैठी अज्ञात बुरकाधारी महिलाओ द्वारा झोला नीचे से काटकर चुरा लिया गया, के संबंध मे थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 200/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा संपादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 31.05.2024 को उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सीमा पत्नी राजन निवासी मित्तोपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को बेसो नदी पुलिया बहद ग्राम मिर्जाआदमपुर से करीब 08.30 बजे मय चोरी का सामान बेचने से मिले 5000 रूपये के साथ हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0 200/2024 धारा 379 भादवि थाना देवगाव जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्ता- सीमा पत्नी राजन निवासी मित्तोपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी का विवरण- 5000 रूपये नगद

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	149/2023	21/8 NDPS Act	मुबारकपुर	आजमगढ़
2	200/2024	379/411 भादवि	देवगांव	आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी चौकी प्रभारी लालगंज, का0 सूर्यकान्त तिवारी, म0आ0 बिन्नी यादव थाना देवगांव आजमगढ़

थाना रौनापार

फ्राड हुए कुल 35,700/- रूपया वापस कराया गया।

पूर्व की घटनाः

आवेदक रामकेश पुत्र कल्पनाथ निवासी सेठाकोली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ से आनलाईन पार्सल के नाम पर दिनांक 01.02.2023 को साईबर फ्राड कर कुल 35,700/- रूपया मंगा लिया गया था जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिनांक 14.02.2023 को थाना स्थानीय के साईबर डेस्क पर प्रार्थना पत्र दिया जिसपर त्वरित कार्यवाही करते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर पंकज यादव द्वारा साईबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर फोन कर कम्पलेन्ट नं0- 23102230012733 दर्ज कराकर पीड़ित का पैसा होल्ड कराया गया तथा अभियुक्त के खाता संख्या व खाताधारक के नाम पते की जानकारी कर आवेदक के माध्यम से रजौरी गार्डन दिल्ली स्थित सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक आफ इण्डिया को धारा 91 द0प्र0सं0 की नोटिस रिसिव कराया गया तो शाखा प्रबन्धक द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त खाता के धारक करनपाल सिंह निवासी HNO. 93 GF FOUR STOTEY VISHAL MARET TAGORE GARDEN NEW DELHI, 110027 जिनका खाता में बैंक में है।

रूपया वापसी का विवरणः-

आवेदक के प्रार्थना पत्र की जाँच विधिक कार्यवाही के क्रम में नई दिल्ली स्थित यूनियन बैंक आफ इण्डिया के शाखा प्रबन्धक को 03 बार रिमाईण्ड भेजवाया गया कि आपके खाते में साईबर फ्राड का पैसा 35,700/- रू0 आया है जिस कारण आपका खाता होल्ड कर दिया गया है। बार बार रिमाइण्डर देने के बावजूद जब खाता धारक सम्बन्धित बैंक पर नही पहुँचा तो शाखा प्रबन्धक द्वारा जरिए मेल थाना स्थानीय पर सूचना दी गई जिसके बाद थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 30/2024 धारा 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट बनाम करनपाल सिंह निवासी HNO. 93 GF FOUR STOTEY VISHAL MARET TAGORE GARDEN NEW DELHI, 110027 पंजीकृत कर विवेचना की गई व आवेदक का पैसा आवेदक के खाते में मुक्त किये जाने सम्बन्धित आदेश मा0 न्यायालय से कराकर सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक को जरिए मेल प्रेषित किया गया है जिसके बाद विधिक कार्यवाही करते हुए शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा रजौरी गार्डन नई दिल्ली द्वारा आवेदक का पैसा आवेदक के खाते में दि0- 20.05.2024 अवमुक्त कर दिया गया है। करीब 16 माह बाद आवेदक अपना साईबर फ्रॉड का शिकार हुआ 35,700/- रू0 पाकर पुलिस का आभार व्यक्त किया है।

साइबर पुलिस टीमः-

थानाध्यक्ष श्री विजय प्रकाश मौर्य थाना रौनापार, आजमगढ़।

कम्प्यूटर ऑपरेटर पंकज यादव, का0मु0 रत्नेश सिंह व म0का0 पूजा कुशवाहा थाना रौनापार, आजमगढ़।

थाना देवगांव
घर से आभूषण व नकदी चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 02.05.2024 को आवेदक 1. विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री गनपत सिंह 2. विवेक कुमार उपध्याय पुत्र श्री कल्पनाथ 3. शैलेन्द्र चौहान पुत्र विजय चौहान 4. सुनिल कुमार राम पुत्र श्री स्वामीनाथ राम अध्यापकगण सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज लालगंज आजमगढ़ के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 01.05.2024 को आवेदकगण के किराये के मकान का ताला तोड़कर चेन, अंगुठी, चांदी के सिक्के, लैपटाप, वाई फाई तथा 15000 रू0 नकद अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के संबंध मे दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 162/2024 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा संपादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 31.05.2024 को उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अभियुक्त रवि प्रकाश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगांव आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष को दीनदयाल नगर से डा0 पवन पाण्डेय के अस्पताल के पास स्थित आम के पेड़ के पास से समय करीब 03.40 बजे मय चोरी का सामान बेचने से मिले 9000 रूपये के साथ हिरासत पुलिस में लिया गया तथा एक व्यक्ति अन्धेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।

पूछताछ का विवरणः

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि आज से करीब एक माह पूर्व मै व गुड्डू उर्फ इस्तियाक ने सरस्वती विद्या मन्दिर के पास स्थित एक मकान में घूसकर कुल चार कमरों का ताला इसी राड से तोड़कर सोने की चैन, अंगूठी, चाँदी का सिक्का, लैपटाप, 15000 रूपया नगद व वाई फाई चुराये थे तथा करीब 20 से 25 दिन पूर्व डा0 पवन पाण्डेय के अस्पताल के सामने स्थित एक मकान का ताला तोड़कर सोने चाँदी के गहने, दो चाँदी के सिक्के चुराये थे तथा करीब 15 दिन पहले मैने चाय चौपाल के पान की दूकान का ताला तोड़कर साउण्ड मशीन, 12000 रूपया नगद तथा पान की कुछ सामान चुराये थे।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0सं0 162/2024 धारा 380 भादवि थाना देवगाव जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-रवि प्रकाश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगांव आजमगढ़

फरार अभियुक्तः-

1-इस्तियाक उर्फ गुड्डू पुत्र मोबीन निवासी चिकियाना गोला कस्बा लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़

बरामदगी का विवरण-

1-9000 रूपये नगद व 01 लोहे का राड

आपराधिक इतिहास-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	298/2022	224 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
2	22/2023	380,382,411,413,457,34 भादवि व 3,4,25 आर्म्स एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
3	23/2016	60 आबकारी	देवगांव	आजमगढ़
4	32/2023	380,382,411,413,457,34 भादवि व 3,4,25 आर्म्स एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
5	33/2023	380,382,411,413,457,34 भादवि व 3,4,25 आर्म्स एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
7	68/2023	380,382,411,413,457,34 भादवि	देवगांव	आजमगढ़
8	71/2023	380,382,411,413,457,34 भादवि	देवगांव	आजमगढ़
9	108/2023	4/25 आर्म्स एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
10	196/2021	60 आबकारी अधिनियम	देवगांव	आजमगढ़
11	224/2024	3/25 आर्म्स एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
12	399/2016	60 आबकारी अधिनियम	देवगांव	आजमगढ़
13	444/2023	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	देवगांव	आजमगढ़
14	162/2024	380,411,413 भादवि	देवगांव	आजमगढ़
15	170/2024	380,411,413 भादवि	देवगांव	आजमगढ़
16	192/2024	380,411,413 भादवि	देवगांव	आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अजीत कुमार चौधरी चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़
2. का0 सूर्यकान्त तिवारी चौकी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़

थाना दीदारगंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 31/5/2024 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान प्रा0वि0 सुरहन कोटिया के पास एक व्यक्ति रामचन्दर पुत्र सोचन निवासी कुशवां थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को एक तमंचा 315 बोर एक जिन्दा कारतूस 315 बोर को समय 07.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना दीदारगंज पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त रामचन्दर पुत्र सोचन निवासी कुशवां थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष

बरामदगी- एक तमंचा 315 बोर एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1 प्र0नि0 अखिलेश कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़

2.चौकी प्रभारी उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार , थाना दीदारगंज आजमगढ़

3 का0 दीपक कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना- बिलरियागंज

हत्या के प्रयास में एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 29.05.2024 को वादी मुकदमा अदीब पुत्र मकसूद अहमद ग्रा0 शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दिया कि भगतपुर में मेला देखने आये खुद के भाई असिम पुत्र मकसूद व खुद के गाँव अजहान पुत्र इम्तेयाज व सीजान पुत्र इम्तेयाज को अल्तमस पुत्र मतीन के द्वारा मेले में धक्का मुक्का लगने के विवाद को लेकर चाकू से जान से मारने की नियत से हमला करने व अजहान व सिजान के के गर्दन मे गहरी चोट लगने व आसिम के कान पर चाकू से वार करने जिसमें कान पर गम्भीर चोट लगने व गाली गुप्ता व जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गये, के सम्बन्ध में दिया। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 185/24 धारा 307, 324, 504, 506 भादवि बनाम अल्तमस पुत्र मतीन निवासी अज्ञात उम्र करीब 19 वर्ष पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 31.05.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अल्तमस पुत्र मतीन निवासी ग्राम भगतपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को भगतपुर मोड़ के मन्दिर के पास से समय बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्त के निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त चाकू को बरामद किया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 185/2024 धारा 307/324/504/506 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अल्तमस पुत्र मतीन निवासी ग्राम भगतपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः- उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- जहानागंज

दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक 30.05.2024 को वादिनी मुकदमा थाना जहानागंज आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी रविन्दर द्वारा वादिनी मुकदमा की लड़की को घर पर काम करने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 263/2024 धारा 376/354 भादवि बनाम रविन्दर पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 31.05.2024 को अपराध निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संम्बन्धित अभि0 रविन्दर उर्फ नरेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र राम निवासी बबुरा व्यौहारडीह थाना जहानागंज आजमगढ़ को मन्दे तिराहा के पास से समय 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.स. 263/2024 धारा 376/354 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- रविन्दर उर्फ नरेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र राम निवासी बबुरा व्यौहारडीह थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- अपराध निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार दूबे मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

चोरी की मोटर साइकिल, कट्टा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक- 08.05.2024 को वादी अंबिका यादव s/o स्व0 रामाज्ञा यादव ग्रा. बिठ्ठलपुर पो. ऊँचागाँव थाना रानी की सराय आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया कि वादी मुकदमा सुबह 9.30 सदर अस्पताल मे दवा लेने आया था। पुनः बाइक गेट के अंदर खडा करके अस्पताल के अंदर दवा लेने चला गया। फिर उसके बाद दवा लेकर 10.30 वापस बाइक के पास आया तो मेरी बाइक उस स्थान से गायब हो गयी। गाड़ी का नं0 UP50AHxxxx है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 275/24 धारा 379 भादवि दर्ज किया गया। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 31.5.24 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उजागिर उर्फ रोशन पुत्र जंग बहादुर निवासी ग्राम सिंगारपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को समय 06.35 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक चोरी की मोटर साइकिल रजि0न0 UP50AH8519 व एक तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0- 333/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- उजागिर उर्फ रोशन पुत्र जंग बहादुर निवासी सिंगारपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष

बरामदगी का विवरणः- एक चोरी की मोटर साइकिल रजि0न0 UP50AH8519 व 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	88/17	411/420 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ़
2	38/13	3/25 शस्त्र अधि.	अतरौलिया	आजमगढ़
3	165/20	307 भादवि	दीदारगंज	आजमगढ़
4	166/20	3 शस्त्र अधि.	दीदारगंज	आजमगढ
5	252/17	323,504,506 भादवि	दीदारगंज	आजमगढ़
6	171/21	3/7/25 शस्त्र अधि.	फूलपुर	आजमगढ़
7	236/19	3/25 शस्त्र अधि	मेहनगर	आजमगढ़
8	275/24	379/411 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
9	333/24	3/ 25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे चौकी प्रभारी बलरामपुर

उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल चौकी प्रभारी पहाड़पुर

हे0कां0 पंकज कुमार सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना – तरवां

लॉकेट की लूट करने का आरोपित अभियुक्त गिरफ्तार, लॉकेट व मोटरसाइकिल बरामद ।

गिरफ्तारी के विवरण-

दिनांक 30.05.2024 को वादिनी मुकदमा सितारा देवी W/O विजय निवासी सराय त्रिलोचन थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाना तरवां ने बताया कि अपने घर के सामने खड़ी थी की एक अज्ञात व्यक्ति मो0सा0 UP50BE8943 से आया और वादिनी सितारा देवी से वीरपुर (नदी) का पता पूछा और उनके हैण्ट पाइप से पानी पीने लगा तो वादिनी मुकदमा सितारा देवी अपना मड़ई में जाकर सो गई तभी वह अज्ञात व्यक्ति लगभग 5.00 बजे के करीब उनके मड़ई मे जाकर सितारा देवी के गले से एक लॉकेट खीच कर भागा तब तक सितारा देवी उठ गयी और जोर-जोर से चिल्लाने लगी तो उनके पड़ोसी राजीव पुत्र श्रीराम व श्रीकान्त पुत्र सूर्यनाथ दौड़कर आये और उसको पकड़ लिये तथा उससे उसका नाम पता पूछ तो अपना नाम प्रवीन कुमार पुत्र लाल बहादुर ग्राम असमलचक थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ जिसको थाना लाकर सुपुर्द किया गया जिसका जाँच उ0नि0 रतन कुमार सिंह को दी गयी जाँच से घटना सच पायी गयी, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 174/24 धारा 392, 411 भादवि बनाम प्रवीन कुमार पुत्र लाल बहादुर ग्राम असमलचक थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 174/24 धारा 392, 411 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- प्रवीन कुमार पुत्र लाल बहादुर ग्राम असमलचक थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

बरामदगी – एक लॉकेट पीली धातु व एक मोटरसाईकल UP50BE8943 स्पलेण्डर प्लस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रतन कुमार सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

25000/- रूपये का इनामिया वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में इनामिया वारण्टी अभियुक्त विकास कुमार पाण्डेय पुत्र ठाकूर प्रसाद निवासी राउत मऊ थाना सिधारी जनपद आजमगढ के गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के द्वारा गठित की गयी टीम जिसके प्रभारी स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी सदर सुभम अग्रवाल के कुशल निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय हमराह पुलिस बल के द्वारा सम्बन्धित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ का मुकदमा नं0 4805/23 धारा 419/420/467/468/471/506 भादवि मु0अ0सं0 105/2018 धारा 419/420/467/468/471/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जिसकी तारिख पेशी 21.05.2024 थी उक्त वारण्टी अभियुक्त को मुखबीर खास की सूचना प्राप्त हुई कि इनामिया वारण्टी अभियुक्त विकास कुमार पाण्डेय पुत्र ठाकूर प्रसाद निवासी राउत मऊ थाना सिधारी जनपद आजमगढ मुम्बई से आया है खुझिया मोड़ पर मौजूद है जो अपने घर जाने वाला है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय पुलिस बल के पहुंचकर मुखबिर के निशादेही पर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया नाम पता तस्दीक इतमिनान होने पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 07.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त–

1- विकास कुमार पाण्डेय पुत्र ठाकूर प्रसाद निवासी राउत मऊ थाना सिधारी जनपद आजमगढ उम्र 38 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय हमराह हे0का0 प्रमोद यादव ,का0 मदन शर्मा का0 शैलेष यादव, म.का. शिवानी सिंह थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

2. स्वाट टीम प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ल मय हमराह पुलिस बल आजमगढ़।